उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 01/2021–22

राजकिशोर सिन्हा..आवेदक

बनाम

राज्य सरकार..विपक्षी

आदेश

यह रे0मि0 पिटीसन आवेदक राजकिशोर सिन्हा पे0 स्व0–चंद्रिका प्रसाद सिन्हा मौजा रसिकपुर दुमका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के WP(C) No 972/2021 में पारित आदेश दिनांक–18.03.2021 के आलोक में कार्रवाई हेतु दिये गये आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया।

इस पर अंचल अधिकारी, दुमका से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी दुमका से जॉच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय दुमका के पत्रांक–1044/रा0 दिनांक–21.10.21 द्वारा प्राप्त है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा रसिकपुर नं0–2 दुमका नगर के वसौड़ी दाग सं0–549/A में रकवा 01 बीघा 19 कट्ठा 19 धूर जमीन को रजिस्ट्री डीड द्वारा क्रय कर आंशिक जमीन पर मकान बनाकर वसोवास कर रहे है। इसी जमीन की उत्तर दिशा में नगर परिषद् द्वारा पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण किया जा रहा था जिस पर आवेदक को आपत्ति था। उनके द्वारा इस कार्य को रोकने हेतु अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका एवं नगर परिषद् को आवेदन दिया गया। अन्ततः वह माननीय उच्च न्यायालय में भी W.P (C) 972/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु आदेश पारित किया गया है।

अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदक के विरोध करने के पश्चात् पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। अर्थात उक्त भूमि पर पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ओर न ही निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस पर किसी प्रकार की कारवाई आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/10/...
उपायुक्त,
दुमका।

22/10/...
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:16:06 +05:30
Location: 169.254.227.244